भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 909

दिनांक 07.02.2023 को उत्तरार्थ

जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली का सशक्तिकरण

909. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से कोई नई योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय-बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) जनजातीय-बहुल क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) : पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा (i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत करना है, (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी), पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को सेवाओं की कुशल प्रदायगी और लोक कल्याण कार्य में सुधार करने संबंधी उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं, और (iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना, आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जिसके तहत पंचायती

राज संस्थाओं का समग्र रूप से कायाकल्प करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में कार्य-कुशलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने हेतु पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है(योजना के तहत राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है), का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये योजनाएँ मध्य प्रदेश राज्य और इसके जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई हैं।

(ख) और (ग) : ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)को लागू कर रही है।

जनजातीय मामलों का मंत्रालय 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)' नामक एक योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से 500 अनुसूचित जनजातियों का एकीकृत विकास करना है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीणों के साथ सक्रिय परामर्श द्वारा अपनी ग्राम विकास योजना तैयार करेंगे और ग्राम सभा/पंचायत/ग्राम परिषद द्वारा अपनाई जाएगी। जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में FRA) को भी प्रशासित कर रहा है, जिसमें वनवासी अनुसूचित जनजाति (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी), जिसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार शामिल हैं, इन्हें ग्राम सभा द्वारा वास्तविक में दिए जाने वाले परिकल्पित अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे वे सतत उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित करते रहे हैं।

(घ) जनजातीय मामलों का मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन/ मार्केटिंग और रसद विकास/ संवर्द्धन
(iii) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना)

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
(ख) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
(घ) जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
(ङ) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

(iv) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान

(v) राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

(क) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
(ग) प्रधान मंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
(घ) जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (TRI-ECE)
(ङ) निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (MESSA)
(च) अनुसूचित जनजातीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति
(छ) राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना

***